भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2148

(जिसका उत्तर शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई, 2016/7 श्रावण 1938(शक) को दिया जाना है)

विनिर्माण और निर्यात

2148. श्री पी०आर० सुन्दरम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित और बढ़ावा देने के लिए क्या वित्तीय उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार की विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु यथावत सहायता के कार्यान्वयन करने की याजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी), विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी), सीईएरनवीएटी इत्यादि में कमी करने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष गंगवार)

(क): सरकार विनिर्माण उत्पादन और विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कदम उठा रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम शामिल है जिसके तहत भारत में विनिर्माण के साथ-साथ स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए 'स्टार्टअप इंडिया' पर अधिक जोर देने के लिए 25 महत्व वाले क्षेत्रों और उनको सहायक पारितंत्र उपलब्ध करने की परिकल्पना की गई है। निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ की स्थापना, ई-बिज पोर्टल की शुरुआत और रक्षा उद्योगों हेतु औद्योगिक लाइसेंस के लिए नीति को उदार बनाने सहित व्यवसाय करने की सरलता में सुधार करने के लिए भी कदम उठाएं गए हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति और प्रक्रियाओं को सरल और उत्तरोत्तर उदार बनाया गया है। अत्याधुनिक अवसंरचना के सृजन के लिए, मंत्रालय दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। इसके अलावा, कई अन्य औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं की भी संकल्पना की गई है।

प्रत्यक्ष कर:

प्रत्यक्ष कर रियायतें देश में विनिर्माण/नियार्तों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए एक उपाय है। इस दिशा में, आयकर अधिनियम, 1961 के संगत उपबंधों के तहत छूटों, कटौतियों, राहतों, कर क्रेडिटों, निवेश भत्तों के रूप में विभिन्न कर रियायतें विहित की गई है।

अप्रत्यक्ष कर:

देश में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और निर्यात संवर्धन के लिए बजट 2016-17 में किए गए राजकोषीय उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:

- ड्यूटी व्युत्क्रम की समस्या के समाधान/घरेलू विनिर्माताओं के लिए लागत को कम करने के लिए कच्चे माल पर सीमाशुल्क ड्यूटी में कमी करना।
- निविष्टि क्रेडिट संचयन की समस्या का समाधान करने और घरेलू विनिर्माताओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए निविष्टियों/कच्चे माल पर सीमाशुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी (एसएडी) से छूट देना।
- घरेलू विनिर्माताओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क ड्यूटी/सीमाशुल्क छूटों की अतिरिक्त ड्यूटी (सीवीडी) को वापस लेना।

- घरेलू विनिर्माताओं को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के लिए कतिपय उत्पादों पर सीमाशुल्क ड्यूटी में वृद्धि करना।
- निर्यात के लिए वस्त्र पोशाकों के निर्माण में प्रयोग के लिए निर्दिष्ट कपड़ों का शुल्क मुक्त आयात।

इसके अलावा, भारत से निर्यातित वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त निविष्टि सेवाओं पर निविष्टियों और सेवा कर पर सीमाशुल्क ड्यूटी और उत्पादशुल्क ड्यूटी में छूट देते हुए ड्यूटी ड्रॉबैक योजना।

वर्ष 2015-16 के दौरान, 33968.81 करोड़ रुपए (ईडीआई डाटा) का ड्यूटी ड्रॉबैक संवितरित किया गया।

(ख): सरकार ने अग्रिम प्राधिकार की निर्यात संवर्धन योजना और ईपीसीजी के तहत ड्यूटी छूटों का कार्यान्वयन किया है।

(ग): वर्तमान में, सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ): उपर्युक्त (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

****